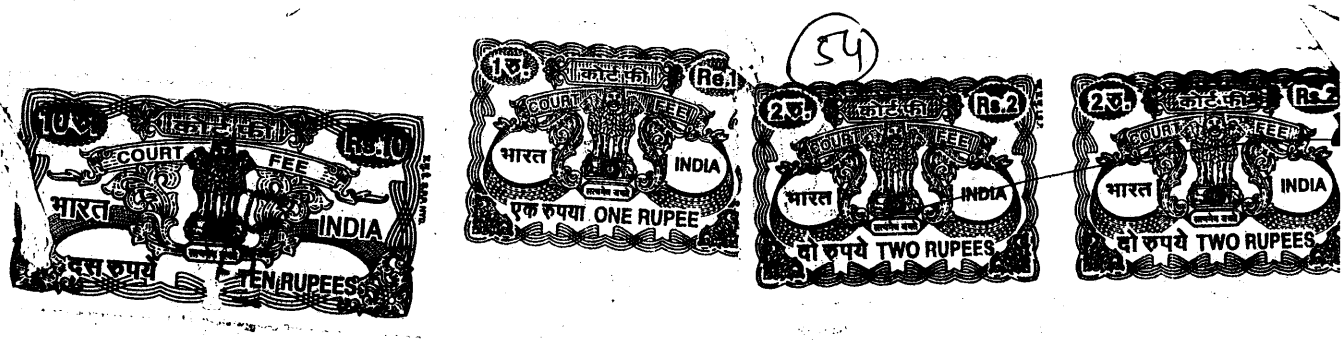

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2014 पुर्नाविलोकर (रिव्यू)

कमल सिंह पुत्र श्री काशीराम लोधा, आयु-60वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम गोपालपुरा तहसील व जिला गुना (म0प्र0)

---------आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार तहसील जिला गुना (म0प्र0)

-------अनावेदक

श्री ... द्वारा आज ... को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्नाविलोकन अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता व खिलाफ आदेश दिनांक 24.01.2013 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक-निगरानी 625-पी0बी0आर0 जिसमें तहसीलदार महोदय जिला गुना द्वारा सीमांकन आवेदन निरस्ती आदेश दिनांक 14.12.2012 को स्थिर रखा गया।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुर्नाविलोकन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, आवेदक कमल सिंह सिंह द्वारा कृषि भूमि सर्वे नम्बर-345, 345मिन/1, 345/2 स्थित छावनीपुरा, तहसील व जिला गुना बाबत् आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 129 वास्ते सीमांकन न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि 'प्रकरण क्रमांक-20/अ- 12/12-13 पर दर्ज किया गया हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1190–दो/14 **जिला** गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2017	आवेदक की ओर से श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक उपस्थित। रिव्यु आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा बताये गये तथ्यों के प्रकाश में रिव्यु आवेदन ग्राह्य किया जाता है । 2/ प्रकरण में गुण–दोष के संबंध में भी उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सुना गया तथा तहसील न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा तीन खसरा नम्बरों के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया गया था, जबकि इस न्यायालय के पूर्व आदेश में मात्र एक ही खसरा नम्बर का हवाला देकर सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गई है । अभिलेख के अवलोकन से आवेदक के इस तर्क की पुष्टि होती है कि आवेदक के द्वारा तीन सर्वे नम्बरों के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था । अतः तहसील न्यायालय को इस बात की जांच करना आवश्यक था कि उसमें से कौन–कौन से खसरा नम्बर आवेदक के स्वामित्व के हैं, और उसके आधार पर उनका सीमांकन करना चाहिए था । उक्त के प्रकाश में इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 24–12–2003 निरस्त किया जाता है तथा तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर तथ्यों की पूर्ण जांच कर आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित करें । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	